

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक: रथा.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./ 50 /2022

दिनांक 20 .07.2022

श्रीमती अलका बंसल (RJ0303), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, करौली को दिनांक 25.07.2022 से 30.07.2022 तक 06 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 23.07.2022 से 24.07.2022 एवं 31.07.2022 के राजपत्रित अवकाशों के सम्भोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती बंसल की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, करौली के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से
रजिस्ट्रार (विभागीकरण)
20.07.2022

क्रमांक: रथा.बी.2(4)/06/2000/ 5194

दिनांक 20 .07.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली।
3. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, करौली को उनके पत्रांक 4072 दिनांक 09.06.2022 के सन्दर्भ में।
4. श्रीमती अलका बंसल (RJ0303), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, करौली।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली।

20.7.2022
सहायक रजिस्ट्रार